भारत सरकार

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

उच्‍चतर शिक्षा विभाग

**राज्‍य सभा**

अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या: 3102

उत्‍तर देने की तारीख: 22.03.2018

**आरआईएसई हेतु निधि का आबंटन**

3102. श्री नारायण लाल पंचारियाः

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) रीवाइटलाजिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड सिस्टम्स इन एजुकेशन (आरआईएसई) हेतु योजना की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं;

(ख) क्या सरकार ने इस प्रयोजनार्थ निधि के आबंटन हेतु कोई लक्ष्य निर्धारित किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या संस्थानों के वित्त-पोषण हेतु राज्य-वार कोई लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो राजस्थान के विशेष संबंध में क्या ब्यौरे हैं?

**उत्तर**

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्‍य मंत्री**

**(डॉ. सत्‍य पाल सिंह)**

(क) से (ड.): सरकार द्वारा उच्‍चतर शिक्षा वित्‍तपोषण एजेंसी (एचईएफए) राजस्‍थान सहित देश के सभी राज्‍यों में स्‍थापित केंद्रीय निधिबद्ध उच्‍चतर शैक्षिक संस्‍थाओं की आवश्‍यकताओं के अनुसार बाजार से निधि जुटाने के लिए स्‍थापित की गई है। एचईएफए द्वारा राज्‍य-वार लक्ष्‍यों के बिना केंद्रीय निधिबद्ध उच्‍चतर शैक्षिक संस्‍थाओं के लिए निधियन किया जा रहा है।

बजट 2018-19 में एचईएफए के गठन द्वारा अगले 4 वर्षों में 1,00,000 करोड़ रूपये के कुल निवेश के साथ “2022 तक रीवाइटलाजिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड सिस्टम्स इन एजुकेशन (आरआईएसई)” नामक मुख्‍य पहल की शुरूआत करने के लिए मुख्‍य शैक्षिक संस्‍थाओं में अनुसंधान और संबंधित अवसंरचना में निवेश को बढ़ाने की घोषणा की गई है, जिसमें स्‍वास्‍थ्‍य संस्थाएं शामिल हैं।

**\*\*\*\*\***